

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-14, बरेली।

उपस्थित : ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code. 1574

UPBR010021392024



सत्र परीक्षण संख्या-107/2024

(सत्र वाद संख्या-215/2024)

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

**प्रति**

निशा पुत्री स्व० जगदीश, निवासी मोहल्ला दुर्गानगर, थाना बारादरी, जिला बरेली।

..... अभियुक्त

परिवाद संख्या-1216/2024

धारा: 195 भा०द०सं०,

थाना: बारादरी, जिला बरेली।

अधिवक्ता अभियोजन पक्ष-श्री सुनील कुमार पाण्डेय,

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(आपराधिक),

अधिवक्ता प्रतिरक्षा पक्ष-श्री अश्विनी कुमार वर्मा

**निर्णय**

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली द्वारा पारित आदेश, दिनांकित 08.02.2024 के माध्यम से, अभियुक्ता के विरुद्ध धारा-340 (डी) द०प्र०सं० के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के अनुक्रम में, दिये गये निर्देश के अनुसरण में, पेशकार/मुंसरिम, द्वारा किये गये परिवाद, दिनांकित 08.02.2024 पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बरेली द्वारा अन्तर्गत धारा-195 भा०द०सं० संज्ञान लिया गया।

संक्षेप में अभियोजन/परिवाद कथानक इस प्रकार है कि अभियुक्ता की माता श्रीमती रामबेटी द्वारा दिनांक 02.09.18 को अभियुक्त अजय उर्फ राघव के विरुद्ध प्रार्थनापत्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना बारादरी को दिया गया, जिसके अनुक्रम में थाना बारादरी, बरेली में अभियुक्त अजय उर्फ राघव के विरुद्ध प्राथमिकी, मु०अ०सं० 1029/19 राज्य प्रति अजय उर्फ राघव, अन्तर्गत धारा 342, 363, 366, 376 भा०द०सं०, पंजीकृत हुई। पीड़िता कु० निशा का अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द०प्र०सं० सम्बन्धित दण्डाधिकारी से लेखबद्ध कराया गया। पीड़िता कु० निशा को न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी PW-6 के रूप में परीक्षित कराया गया। पीड़िता कु० निशा ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा के माध्यम से अभियोजन कथानक का समर्थन किया, किन्तु प्रतिपरीक्षा में, मुख्य परीक्षा के पूर्णतः विपरीत, यह कथन किया गया कि उसके साथ अभियुक्त अजय उर्फ राघव ने कभी कोई छेड़छाड़ या गलत काम नहीं किया तथा

न्यायालय की पृच्छा पर अवगत कराया कि उसने इसी न्यायालय में शपथ पर झूठा बयान दिया था। साक्षी/पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का कृत्य किया है, जो अभियुक्त के विरुद्ध ऐसे आरोप को सिद्ध करने हेतु किया गया है, जिसमें 07 वर्ष से अधिक तथा आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्रावधान है, जोकि अन्तर्गत धारा 195 द०प्र०सं० से दण्डनीय अपराध है। अतः अभियुक्ता कु० निशा को नियमानुसार दण्डित करने का अनुरोध है। तदनुसार परिवादपत्र विद्वान न्यायालय के आदेश, दिनांकित 08.02.2024 के अनुक्रम में, मय अभियुक्ता कु० निशा (अभिरक्षा में) प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त परिवादपत्र के आधार पर, दिनांक 08.02.2024 को, न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-बरेली में, परिवाद संख्या-1216/2024, अन्तर्गत धारा 195 भा०द०सं०, अभियुक्ता कु० निशा के विरुद्ध, पंजीकृत किया गया तथा आदेश, दिनांकित 12.02.2024 के माध्यम से, प्रकरण को विचारणार्थ सत्र न्यायालय को उपापित किया गया, जहाँ यह सत्र परीक्षण संख्या-107/2024 के रूप में पंजीकृत हुआ।

आदेश, दिनांकित 02.03.2024 के माध्यम से, अभियुक्ता के विरुद्ध, अन्तर्गत धारा 195 भा०द०सं०, आरोप विरचित किया गया, अभियुक्ता को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्ता द्वारा आरोप को अस्वीकार करते हुए, विचारण की मांग की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से, अभियुक्ता के विरुद्ध, आरोपित अपराध को, सिद्ध करने हेतु, बतौर मौखिक साक्ष्यस्वरूप, PW-1 श्री विनोद बिहारी माथुर, वर्तमान पदस्थापन मुंसरिम रीडर, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-बरेली को परीक्षित कराया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी नहीं परीक्षित कराया गया।

अभियोजन की ओर से, निम्नलिखित अभिलेखीय प्रपत्र को प्रस्तुत कर, सिद्ध कराया गया है-

क्र०सं०	प्रपत्र का नाम	प्रदर्श संख्या
1	अभियुक्ता/पीड़िता निशा का न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध मुख्य परीक्षा दिनांकित 13.10.2023 प्रपत्र संख्या-11क	प्रदर्श क-1
2	अभियुक्ता/पीड़िता निशा का न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध शेष मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा तथा न्यायालय की ओर से की गयी पृच्छा दिनांकित 08.02.2024 प्रपत्र संख्या-12ख	प्रदर्श क-2

आदेश, दिनांकित 06.03.24 के माध्यम से, अभियुक्ता का अभिकथन अन्तर्गत धारा-313 द०प्र०सं०, लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्ता द्वारा परिवाद कथानक को गलत बताया गया तथा न्यायालय में गलतबयानी न करने का कथन किया है। साक्षी PW-1 के साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया गया है कि उक्त साक्षी द्वारा अपने पीठासीन अधिकारी के दबाव में गलत बयान दिया गया। अतिरिक्त कथन में कहा है कि श्रीमानजी मैंने अभियोजन पक्ष की घटना का पूर्ण समर्थन किया

है। मैंने कोई गलतबयानी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। मौखिक साक्ष्यस्वरूप, प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से, अभियुक्ता कु० निशा को न्यायालय की अनुमति से DW-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी PW-1 श्री विनोद बिहारी माथुर, मुंसरिम रीडर, अपर सत्र न्यायाधीश-त्वरित न्यायालय, बरेली द्वारा न्यायालय के समक्ष किया गया कथन निम्नवत् है-

**मुख्य परीक्षा**-दिनांक 13.10.23 को मैं FTC कोर्ट में रीडर के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने साक्षी निशा पुत्री जगदीश, पत्नी विपिन गंगवार, निवासी दुर्गानगर, बारादरी का बयान अंकित किया था। जो साक्षी ने बोला था, मैंने वही लिखा था। पत्रावली पर शामिल कागज संख्या-11क/1, जो निशा के बयान की प्रति है, जो मेरे लेख में है, जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है व गवाह निशा के हस्ताक्षर है, की पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-1** डाला गया। दिनांक 08.02.24 को साक्षी निशा का बयान मेरे द्वारा अंकित किया गया था, जिस पर पीठासीन अधिकारी व गवाह के हस्ताक्षर है, पत्रावली पर शामिल कागज संख्या-12ख/1 जो गवाह निशा का बयान है, जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया।

**प्रतिपरीक्षा**-मैं आज न्यायालय में कु० निशा की पत्रावली में गवाही दे रहा हूँ। मुझे इस पत्रावली में गवाही हेतु कोई भी सम्मन/नोटिस/सूचना लिखित में प्राप्त नहीं हुयी है। कागज संख्या-11ख/1, पत्रावली पर छायाप्रति के रूप में उपलब्ध है, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया है, जिसका मूल आज न्यायालय में मौजूद नहीं है और न ही पत्रावली पर मौजूद है, न ही ये नकल विभाग द्वारा प्रमाणित है। ये बात सही है कि प्रदर्श क-1 पर ये नहीं लिखा है कि मैं बतौर साक्षी इसको सत्यापित व प्रमाणित करता हूँ, न ही मेरे लेख व हस्ताक्षर में सत्यापित एवं प्रमाणित है। इसी क्रम में प्रदर्श क-2 भी, न नकल विभाग द्वारा सत्यापित व प्रमाणित है और न ही मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित प्रतिलिपि है, केवल छायाप्रति है, मूल आज न्यायालय में मौजूद नहीं है और न ही पत्रावली में मौजूद है। ये बात सही है कि प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2 न्यायालय में छायाप्रति के रूप में मौजूद है। मुझे ये ध्यान नहीं है कि अभियुक्ता निशा की मुख्य परीक्षा किस दिनांक को अंकित की गयी। ये बात सही है कि मुख्य परीक्षा, जिस भी दिनांक को अंकित हुई, मेरे हस्तलेख में अंकित हुई। ये बात सही है कि कु० निशा, जिस मुकदमें में पीड़िता है, वो मुकदमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन है, साक्ष्य हेतु नियत है। उस मूल मुकदमें में अभी तक निर्णय पारित नहीं हुआ। पत्रावली पर बयान धारा-164 CrPC मूल मौजूद नहीं है। कागज संख्या-5ख हमारे न्यायालय के PO द्वारा पारित किया गया है, जो दिनांक 08.02.24 को पारित किया गया है। यह कागज संख्या-5ख टाइपशुदा है। ये बात सही है कि 5ख दिनांक 08.02.24 में पीड़िता/अभियुक्ता निशा का बयान अन्तर्गत धारा-164 CrPC का बयान अंकित करने वाले Magistrate को पक्षकार नहीं बनाया गया है। मैंने कागज संख्या-5ख, अन्तर्गत धारा-340 द०प्र०सं० दिनांकित 08.02.24 को तैयार करते समय, पीड़िता कु० निशा का बयान अन्तर्गत धारा-164CrPC अंकित करने वाले Magistrate का बयान

मूल पत्रावली में बयान अंकित नहीं किये, न ही हमारे न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या-15/20, सरकार बनाम अजय उर्फ राघव, अ0सं0 1029/19, धारा 376, 363, 366, 342 भा0द0सं0, थाना बारादरी में, पीड़िता/अभियुक्ता का बयान अन्तर्गत धारा-164 CrPC का बयान अंकित करने वाले Magistrate का साक्ष्य व बयान आज तक अंकित हुआ। हमारे न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली में पीड़िता/अभियुक्ता कु0 निशा का बयान साबित हो चुका है। ये बात सही है कि पीड़िता/साक्षी/अभियुक्ता ने हमारे न्यायालय में दिनांक 13.10.23 को साक्षी PW-6 के रूप में अपने मुख्य परीक्षा में, अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है। ये बात सही है कि पीड़िता द्वारा धारा-164 CrPC के बयान का समर्थन किया गया है। ये बात सही है कि कु0 निशा द्वारा हमारे न्यायालय में दौरान साक्ष्य, मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का पूर्ण समर्थन किया गया है, झूठ नहीं बोली है। ये बात सही है कि आज तक ST NO.-107/24, जिसमें बयान अंकित करा रहा हूँ, निशा के धारा-164 CrPC का बयान लिखने वाले Magistrate को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह बात सही है कि धारा-340 CrPC का अभियोग/परिवाद दर्ज कराने से पूर्व, हमारे न्यायालय द्वारा कु0 निशा को इस आशय का Show-Cause Notice जारी नहीं किया गया और न ही उसे Notice जारी कर, युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया कि उसके द्वारा न्यायालय में झूठी गवाही देने के कारण, क्यों न दण्डित करते हुए, उसे जेल भेजा जाए। यह बात सही है कि कु0 निशा को हमारे न्यायालय द्वारा धारा-340 CrPC का परिवाद दर्ज करते हुए, अपनी सफाई व पक्ष रखे बगैर, उसी दिन जेल भेज दिया गया। यह बात सही है कि कु0 निशा को परिवाद पंजीकृत कराते समय या उससे पूर्व कोई भी कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया कि उसने न्यायालय में झूठा साक्ष्य अंकित करवाया। इस सम्बंध में कोई भी मौका अथवा अवसर कु0 निशा को नहीं दिया गया। न्यायालय में, दौरान साक्ष्य, कु0 निशा से PO द्वारा यह नहीं पूछा गया कि साक्षी/पीड़िता अपना बयान बिना किसी भय, बिना किसी लोभ, बिना प्रलोभन, लालच, परिजनो अथवा पुलिस का भय/प्रभाव हटने के पश्चात दे रही है, यह बात पीड़िता के संपूर्ण बयान में कहीं भी अंकित नहीं है और न ही दौरान साक्ष्य न्यायालय द्वारा पूछा गया। यह बात सही है कि बयान देने व जेल जाने के बीच पीड़िता को सफाई देने का कोई भी मौका नहीं दिया गया। ये कहना गलत है कि मैंने अपने पीठासीन अधिकारी के दबाव में कु0 निशा के विरुद्ध धारा-340 द0प्र0सं0 का परिवाद दर्ज कराया हो।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से परीक्षित प्रतिरक्षासाक्ष्यस्वरूप न्यायालय की अनुमति से अन्तर्गत धारा-315 CrPC परीक्षित अभियुक्ता/साक्षी DW-1 द्वारा किया गया कथन निम्नवत् है-

मेरी माँ ने 02.09.19 को अजय उर्फ राघव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। मेरी माँ ने मुकदमें में क्या लिखाया गया, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मेरा दिनांक 18.09.19 को Magistrate के समक्ष, जो 164 का बयान हुआ था, वह बयान मैंने दरोगाजी व परिवारवालो के धमकाने पर दिया था। मुझे दरोगाजी ने धमकी दी थी कि हमारा बताया गया बयान नहीं दिया तो नारी निकेतन में भेज देंगे। मैंने

दरोगाजी के बताये अनुसार ही बयान दिया था। मुझे मा० न्यायालय से गवाही देने के लिए सम्मन प्राप्त हुआ था, उसी क्रम में दिनांक 13.10.23 को मुख्य परीक्षा अंकित हुयी थी, जो सरकारी वकील द्वारा करायी गयी थी। मुझसे यह कहा गया कि तुम खड़ी रहो, हम बयान लिखवा देंगे। मेरी मुख्य परीक्षा सरकारी वकील द्वारा अंकित करायी गयी। फिर मुझे दोबारा 08.02.24 को बुलाया गया। फिर मैंने मा० न्यायालय में ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जिससे मुल्जिम को सजा न हो सके। मैंने जो बयान दिया था, जो सत्य बात थी। मैंने न्यायालय में कोई झूठी गवाही नहीं दी, बल्कि जो बयान दिया, वह सत्य था। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, केवल हस्ताक्षर करना जानती हूँ। मैं मुल्जिम अजय उर्फ राघव के वकील को नहीं जानती, न ही उनसे कभी मिली। जिस समय मेरा न्यायालय में बयान हुआ था, उस समय मेरी तबियत भी सही नहीं थी। मैंने न्यायालय में सरकारी वकील को बताया था लेकिन मेरी बात अनसुनी कर दी थी। मैं निर्दोष हूँ। आज न्यायालय में जो सही बात है, वहीं बता रही हूँ।

राज्य/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि अजय उर्फ राघव मेरे घर आता-जाता था। वो झॉकी का काम करता था। मेरी बहन नीतू भी झॉकी का काम करती थी। मेरे घर में वो पैसा नहीं खर्च करता था, लेकिन उसका मेरे घर से लगाव था। अजय उर्फ राघव मुझे दिल्ली ले गया था। वहाँ पर मुझे 10 दिन रखा था। उसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया था। मैं उसके साथ दिल्ली चली गयी थी इसलिए मेरी माँ ने रिपोर्ट लिखायी थी। मैंने धारा-164 का बयान अपनी मर्जी से नहीं दिया था, दरोगाजी के दबाव में दिया था। मैंने न्यायालय में बयान अपने प्राइवेट अधिवक्ता के कहने से, जो उन्होंने कहा, वही बयान लिखाया था। यह बात सही है कि मेरा जिरह वाला बयान सही है।

सत्र परीक्षण संख्या-15/2020, मु०अ०सं० 1029/19, अन्तर्गत धारा 342, 366, 363, 376 भा०द०सं०, थाना बारादरी, जिला बरेली को निर्णय/आदेश, दिनांकित 08.04.2024 के माध्यम से निर्णीत किया जा चुका है तथा अभियुक्त अजय उर्फ राघव को उक्त प्रकरण में, दोषमुक्त किया जा चुका है। उक्त पत्रावली को आहूत कर, प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली के साथ संलग्न किया गया।

### **निष्कर्ष**

प्रस्तुत प्रकरण के निष्कर्ष हेतु सत्र परीक्षण संख्या-15/2020, मु०अ०सं० 1029/19, अन्तर्गत धारा 342, 366, 363, 376 भा०द०सं०, थाना बारादरी, जिला बरेली की पत्रावली की प्राथमिकी कथानक, पीड़िता का अभिकथन अन्तर्गत धारा 164 CrPC तथा पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष, बतौर PW-6 किया गया कथन विचारणीय है, जो क्रमशः निम्नवत् है—

मु०अ०सं० 1029/19 की वादिनी मुकदमा श्रीमती रामबेटी पत्नी स्व० जगदीश, जो अभियुक्ता निशा की माता है, द्वारा थाना बारादरी, जिला बरेली में इस आशय की लिखित तहरीर/प्रदर्शक-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु दिनांक 02.09.2019 को दी गयी कि *रामबेटी पत्नी स्व० जगदीश, मो० दुर्गा नगर, थाना*

बारादरी जिला बरेली की निवासी है। उसकी बड़ी लड़की नीतू व अजय उर्फ राघव पुत्र नामालूम, जो नेकपुर, थाना सुभाषनगर में किराये पर रहता था, उसकी लड़की नीतू तथा अजय दोनो झांकी में काम करते थे, जिस कारण अजय का उसके घर आना-जाना था। दिनांक 29.08.2019 को वह अपनी बड़ी लड़की के घर गयी थी। उसकी छोटी लड़की/पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष, जो उसके घर पर थी, तभी अजय उर्फ राघव उसके घर आया और उसकी लड़की/पीड़िता को बहला फुसला कहीं ले गया। उसने अजय के मोबाईल नं. 9536512593 से बात की तो उसने कहा कि पीड़िता उसके पास नहीं है और मोबाईल बंद कर लिया तथा अपने किराये के कमरे से भी गायब है। उसे अपनी लड़की के बारे में चिन्ता है, अजय उर्फ राघव उसकी लड़की के साथ कोई अनहोनी कर सकता है।

अभियुक्ता/पीड़िता द्वारा अपने अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द.प्र.सं./प्रदर्शक-6 में किया गया कथन निम्नवत् है-

“ मेरी उम्र 15 साल है। अजय उर्फ राघव नेकपुर का रहने वाला है। जाति से पण्डित है। मेरी दीदी झांकी का काम करती है तो यह हमारे घर आता था। 21 दिन पहले मैं सब्जीमण्डी गयी थी तो अजय बाजार में मिला और मुझे प्रसाद दिया। मुझे खाते ही नशा हो गया तो मुझे अपने साथ दिल्ली ले गया और अपने घर में, कमरे में बंद कर दिया। अजय मुझे सारी रात नंगा रखता था और गलत काम करता था। रात में 4-5 लड़के और भी आते थे, वो भी गलत काम करते थे। अजय की माँ-बहन मुझ पर नजर रखती थी। आज से 8 दिन पहले जब उसकी मम्मी सो रही थी, तब मैं वहां से भाग आयी। मैं चाहती हूँ कि अजय को सजा हो। ”

परिवादी न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली के समक्ष अभियुक्ता/पीड़िता/साक्षी PW-6 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा, दिनांकित 13.10.2023 के माध्यम से यह कथन किया है कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं है। घटना के समय मैं लगभग 17 वर्ष की थी। घटना, अब से लगभग 4 वर्ष पूर्व की है। शाम के लगभग 6:00 बजे की है। उस समय मैं घर पर अकेली थी। मेरी बहन नीतू के साथ काम करने वाला अजय उर्फ राघव, जोकि मेरी बहन नीतू के कारण घर आता-जाता था, घर आया, मुझसे बोला कि तुम्हें मंदिर घुमा लाये। उसने मुझे लड्डू खिलाया, जिससे मुझे नशा सा हो गया। वह मुझे अपने साथ बस से दिल्ली ले गया, वहाँ उसने मुझे एक मकान पर रखा। वहां उसकी माँ-बहन भी रहती थी। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार भी किया। करीब 6 दिन मैं उसके कब्जे में रही। मेरे साथ रोज बलात्कार भी करता था। उसकी माँ-बहन निगरानी करती थी। एक दिन माँ-बहन दोपहर में सो रहे थे। अजय उर्फ राघव कहीं गया हुआ था। मैं मौका पाकर वहां से भाग निकली। ट्रेन से बरेली आ गयी, घर आयी। बहन, जीजा और माँ मुझे थाने लेकर गये थे क्योंकि माँ ने रिपोर्ट लिखा रखी थी। पुलिस ने मुझे मेडिकल के लिये भेजा, परंतु मैंने डर के कारण अपना मेडिकल नहीं कराया। पुलिस ने महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष भी मेरे बयान कराये थे। -----मुख्य परीक्षा जारी

शेष मुख्य परीक्षा दिनांक 08.02.24-इस स्तर पर पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 सीलबंद लिफाफा न्यायालय में मौजूद है, न्यायालय की अनुमति से खोला गया। बयान पर लगे फोटो को देखकर साक्षी ने सशपथ बयान

किया कि यह फोटो मेरा ही है। यह बयान मैंने ही दिया था। साक्षी ने बयान पर किये अपने हस्ताक्षर की पहचान की। बयान अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 पर प्रदर्श क-6 डाला गया।

**प्रतिपरीक्षा**—मुझे आज की गवाही का सम्मन मिला। मैं आज न्यायालय में गवाही देने आयी हूँ। मुझे घटना की तारीख याद नहीं है। मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। मेरे परिवार में मेरी बड़ी बहन नीतू पढ़ी-लिखी है। हम 4 बहन, 2 भाई हैं—1-बड़ी बहन नीतू, 2-मनीषा, 3-निशा, 4-रितू व भाई का नाम विशाल व विकास है। मैं 29.08.19 को अपने घर पर थी। मेरी बहन नीतू व अजय राघव देवी जागरण में, दोनों लोग साथ-साथ काम करते थे। मैं अजय उर्फ राघव के साथ देवी जागरण में काम करने जाती थी। अजय राघव मेरी बहन नीतू को, बहन मानता है। मैं स्कूल कभी नहीं गयी। मेरी माताजी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। मैं दिनांक 29.08.19 को अपने संजयनगर वाले मकान पर ही थी। मैं बड़ी बहन नीतू के घर नहीं गयी थी। मैं अजय राघव से प्रेम नहीं करती थी। मेरे साथ अजय राघव ने कभी कोई छेड़छाड़ व जोर-जबरदस्ती नहीं की। मेरे साथ अजय राघव ने कभी छेड़छाड़ नहीं की, कोई भी गलत काम नहीं किया। मेरे धारा 164 CrPC के दर्ज बयान में 4-5 लड़को को कहा है जबकि कोई नहीं था। अजय मेरे साथ नहीं था। मुझे अजय राघव कभी दिल्ली लेकर नहीं गया। मैं घटना के बाद थाने उपस्थित हुई। धारा-164 CrPC बयान होने तक मैं अपने माता-पिता के साथ थी। मैंने बयान धारा 164 CrPC पुलिसवालो के दबाव में दिये थे। मुझे कभी भी अजय राघव ने कोई नशीला पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ नहीं दिया था। थाने में FIR लिखाने गये थे। FIR थाने में दरोगाजी से लिखवायी थी। घटना वाले दिन मेरी बड़ी बहन नीतू ने मुझे अजय राघव के साथ नहीं देखा था। यह कहना सही है कि मेरी माँ ने जानबूझकर बिना किसी कारण के अभियुक्त अजय राघव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। यह कहना भी सही है कि मेरा अजय राघव से कोई सम्बंध नहीं था।

**न्यायालय द्वारा की गयी पृच्छा**—मुकदमा मम्मी जी ने लिखवाया था। मम्मी जी अजय राघव से नफरत करती थी क्योंकि वह घर आता था। मेरी बड़ी बहन इण्टर तक पढ़ी है, परन्तु मुझे यह नहीं पता कि कहाँ से पढ़ी थी। मैंने जो बयान Magistrate के सामने दिया, उस समय मेरी उम्र 15 वर्ष थी। (साक्षी ने प्रत्येक प्रश्नो का उत्तर देने से आनाकानी की है) इसी न्यायालय में मैंने शपथ पर झूठा बयान दिया था। मैंने मम्मी के कहने पर बयान दिया था।

**विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) तथा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।**

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक सिद्ध है। अतः अभियुक्ता की दोषसिद्धि की याचना की गयी।

प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्ता के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध है, क्योंकि मूल पत्रावली में निर्णय के उपरांत ही, धारा-195 भा0द0सं0 विचारणीय है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर

से परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की छायाप्रतियों को सिद्ध किया गया है, जो विधितः ग्राह्य नहीं है। पीड़िता का अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0, विवेचक के दबाव के अधीन दिया गया था, जबकि न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा परम्परानुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा लिखा दिया गया था। प्रतिपरीक्षा सत्य व तथ्यपरक है। अतः अभियुक्ता को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

#### तार्किक-विश्लेषण

अभियोजन प्रपत्र तथा परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में अन्तर्गत धारा 354(1)(b) द0प्र0सं0, 1973 न्यायालय के मत में, प्रस्तुत प्रकरण का विनिश्चय निम्नलिखित अवधार्य बिन्दुओं के अधीन किया जाना, युक्तिसंगत होगा-

1. क्या प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही, अन्तर्गत धारा-195 भा0द0सं0 विधिसंगत है?
2. क्या अभियोजन की ओर से, प्रस्तुत साक्ष्य विधितः ग्राह्य है?
3. क्या आरोपित अपराध अभियुक्ता के विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध है?

#### प्रथम अवधार्य बिन्दु का निस्तारण

प्रथम अवधार्य बिन्दु इस आशय का विनिर्धारित है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही, अन्तर्गत धारा-195 भा0द0सं0 विधिसंगत है?

प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सत्र परीक्षण संख्या-15/2020, में अभियुक्ता द्वारा किये गये प्रश्नगत कथन के सम्बंध में, मिथ्या साक्ष्य सम्बंधी उपधारणा, निर्णय के उपरांत ही विधिसंगत थी, साक्ष्य के स्तर पर ऐसी उपधारणा किसी भी दृष्टि से विधिसंगत नहीं है। इससे अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली द्वारा, सत्र परीक्षण संख्या-15/2020, में पारित आदेश, दिनांकित 08.02.2024, परिवाद पत्र दिनांकित 08.02.24 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा लिया गया प्रसंज्ञान आदेश, दिनांकित 08.02.24 विधितः दोषपूर्ण हो जाता है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कार्यवाही अवैध हो जाती है।

इस प्रकार, विचारणीय प्रश्न यह है कि धारा-195 भा0द0सं0, सम्बन्धित अपराधिक वाद के निर्णय के उपरांत आकर्षित होता है अथवा वाद के किसी भी प्रक्रम पर कार्यवाही पोषणीय है।

धारा-195 भा0द0सं0 आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध कराने के आशय से, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के सम्बंध में प्रावधान करता है, जिसके अनुसार, जो कोई इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि एतद्वारा वह किसी व्यक्ति को, किसी अपराध के लिए; जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डनीय न हो, किन्तु आजीवन कारावास से या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय हो, दोषसिद्ध कराये, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह वैसे ही दण्डित किया जाएगा, जैसे वह व्यक्ति दण्डित होता, जो उस अपराध के लिए दोषसिद्ध होता।

इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान के किसी भी अंश से, यह भाव प्रकट नहीं होता है कि उक्त प्रावधान, प्रकरण के विनिश्चय के उपरांत ही प्रभावी होगा, अपितु



अन्तिम पंक्ति से यह स्पष्ट विदित होता है कि विचारण के दौरान, प्रसंज्ञान विधिसंगत होगा।

सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 में अभियुक्ता/पीड़िता द्वारा अजय उर्फ राघव नामक व्यक्ति को, सदोष परिरोध अन्तर्गत धारा-342 भा0द0सं0 (01 वर्ष का कारावास या 1000/रूपया अर्थदण्ड या दोनों), व्यपहरण अन्तर्गत धारा-363 भा0द0सं0 (07 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड), विवाह, आदि हेतु विवश करने के प्रयोजनार्थ व्यपहरण अन्तर्गत धारा-366 भा0द0सं0 (10 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड) तथा बलात्संग अन्तर्गत धारा-376 भा0द0सं0 (सश्रम कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा व अर्थदण्ड) हेतु आक्षेपित किया गया था।

इस प्रकार, अभियुक्ता द्वारा अजय उर्फ राघव नामक व्यक्ति पर लगाये गये आक्षेप से, उसे आजीवन कारावास का दण्ड सम्भव था।

इस प्रकार, न्यायालय के मत में, प्रतिरक्षा पक्ष का उपरोक्त तर्क अस्वीकार्य पाया जाता है। धारा-195 भा0द0सं0 के प्रयोजनार्थ, प्रकरण का अन्तिम विनिश्चय विधितः अपेक्षित नहीं है, अपितु विचारण के किसी भी प्रक्रम पर, तत्सम्बन्धी कार्यवाही विधिसंगत हो सकती है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह निर्णय पारित करने के पूर्व, सत्र परीक्षण संख्या-15/2020, निर्णय/आदेश, दिनांकित 08.04.2024 के माध्यम से निर्णीत किया जा चुका है।

### द्वितीय अवधार्य बिन्दु का निस्तारण

द्वितीय अवधार्य बिन्दु इस आशय का विनिर्धारित है कि क्या अभियोजन की ओर से, प्रस्तुत साक्ष्य विधितः ग्राह्य है?

प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त अभिलेखीय साक्ष्य, मूल प्रपत्रों की छायाप्रतियां हैं, जिन्हें अभियोजन की ओर से परीक्षित एकमात्र साक्षी PW-1 से न केवल सिद्ध कराया गया है, अपितु उस पर प्रदर्श भी डाला गया है, जोकि विधिसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन की ओर से, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली द्वारा पारित आदेश, दिनांकित 08.02.24, मु0अ0सं0-1029/19, थाना बारादरी, की प्राथमिकी व सामान्य दैनिकी की छायाप्रति तथा अभियुक्ता/पीड़िता के अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 की भी छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के आलोक में, साक्ष्य में अग्राह्य हैं। अतः इससे सम्पूर्ण अभियोजन कार्यवाही दोषपूर्ण हो जाती है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2, सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 में, अभियुक्ता द्वारा बतौर अभियोजन साक्षी PW-6, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली के न्यायालय में, मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में किये गये कथन की प्रतिलिपियां हैं, जिन पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली (उ0प्र0) की मोहर लगी है तथा कोई हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली द्वारा पारित आदेश, दिनांकित 08.02.24, मु0अ0सं0-1029/19, थाना बारादरी, की प्राथमिकी व सामान्य

दैनिकी की प्रतिलिपि तथा अभियुक्ता/पीड़िता के अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 की प्रतिलिपि पर भी न्यायालय की मोहर लगी है, किन्तु पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। न्यायालय के मत में, उपरोक्त समस्त प्रपत्रों/प्रतिलिपियों पर, न्यायालय की मोहर मात्र के आलोक में, उन्हें विधितः प्रमाणित प्रपत्र उपधारित किया जाना विधिसंगत होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली द्वारा, सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 में, अन्तर्गत धारा-340 द0प्र0सं0, आदेश दिनांकित 08.02.24 पारित किया गया, जिसके अनुक्रम में उनके मुंसरिम/रीडर द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बरेली के समक्ष, उसी तिथि पर, परिवाद पत्र दिनांकित 08.02.24 प्रस्तुत किया गया, जिस पर उसी तिथि पर प्रसंज्ञान लेते हुए, प्रकरण को आदेश, दिनांकित 12.02.24 के माध्यम से, सत्र न्यायालय को विचारणार्थ उपापित कर दिया गया तथा पत्रावली अन्तरण के माध्यम से, इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस समस्त प्रक्रिया में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली, उनका मुंसरिम/रीडर, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बरेली, विद्वान जनपद न्यायाधीश, बरेली सम्मिलित रहे, कोई बाहरी, गैर-न्यायिक, गैर-सरकारी, व्यक्ति सम्मिलित नहीं रहा। ऐसी स्थिति में, न्यायालय के अन्दर ही, उपरोक्त उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से, एक प्रक्रिया के अधीन, प्राप्त पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों पर, तकनीकी आधार पर, सन्देह प्रकट किया जाना न्यायोचित नहीं होगा, जबकि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा सम्बन्धित प्रपत्रों के ऐसे किसी भी अंश को इंगित नहीं किया गया अथवा ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे विदित होता हो कि ऐसा अंश, सत्र परीक्षण संख्या-15/2020, में संलग्न तत्सम्बन्धी मूल प्रपत्र के तत्सम्बन्धी अंश से भिन्न हो।

इसके बावजूद, सुरक्षा की दृष्टि से, मेरे द्वारा मूल पत्रावली आहूत करते हुए, तत्सम्बन्धी प्रपत्रों से, प्रस्तुत प्रकरण के अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् मिलान किया गया, जिससे समस्त प्रश्नगत प्रपत्र सत्य व प्रमाणित पाये गये।

इस प्रकार, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा, अभियोजन प्रपत्रों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त तर्क अस्वीकार्य पाये जाते हैं।

### तृतीय अवधार्य बिन्दु का निस्तारण

तृतीय अवधार्य बिन्दु इस आशय का विनिर्धारित है कि क्या आरोपित अपराध अभियुक्ता के विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध है?

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्ता पढ़ी-लिखी नहीं है, कभी स्कूल नहीं गयी। सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 के अभियुक्त अजय उर्फ राघव तथा अभियुक्ता की बड़ी बहन नीतू, एक साथ झॉकी में काम करते थे, इसी कारण वह अभियुक्ता के घर आता-जाता था, जो अभियुक्ता की माँ/सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 की वादिनी श्रीमती रामबेटी को पसंद नहीं था। इसी कारण, अभियुक्ता की अनुपस्थिति पर, श्रीमती रामबेटी द्वारा अजय उर्फ राघव के विरुद्ध द्वेषवश प्राथमिकी, मु0अ0सं0 1029/19, थाना बारादरी में दर्ज करा दी गयी। तत्पश्चात्

विवेचक के दबाव में, विवेचक की मंशा के अनुरूप, पीड़िता द्वारा विद्वान दण्डाधिकारी के समक्ष अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0, लेखबद्ध करा दिया गया। इसी प्रकार न्यायालय के समक्ष भी, सामान्य प्रचलन के अनुसार, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराधिक) द्वारा, पुलिस प्रपत्रो के आलोक में, अभियुक्ता की मुख्य परीक्षा लेखबद्ध करायी गयी, जबकि वास्तव में अभियुक्ता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में ही स्वतन्त्र सम्मति से, सत्य व तथ्यपरक कथन किये गये। अतः इन परिस्थितियों का लाभ, न्याय हित में, अभियुक्ता को प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 की पत्रावली तथा प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली के आदेशपत्रक व अन्य प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्ता द्वारा English Capital Letters में सुपठनीय स्पष्ट हस्ताक्षर "NISHA" किये गये हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता इतनी भी पढ़ी-लिखी न हो कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत प्रपत्रो, प्रकरण में की जा रही कार्यवाही तथा लेखबद्ध किये जा रहे कथन को पढ़ने व समझने में असमर्थ हो। अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 तथा सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 में पीड़िता की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा सम्बंधी पत्रों पर भी पीड़िता के उपरोक्त हस्ताक्षर उपलब्ध है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बलात्संग पीड़िता का अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 अत्यन्त गोपनीय रूप से, महिला दण्डाधिकारी द्वारा, बंद कमरे में (*In Camera*), यह सुनिश्चित करते हुए कि पीड़िता किसी भय या दबाव के अधीन तो नहीं है, लेखबद्ध किया जाता है। यदि पीड़िता पर विवेचक का दबाव था तो वह सम्बन्धित महिला दण्डाधिकारी को अवगत करा सकती थी। न्यायालय के मत में, महिला न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 लेखबद्ध किये जाने की प्रक्रिया में, विवेचक के भय या दबाव के अधीन होना तार्किक दृष्टि से सम्भव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह नहीं स्पष्ट किया जा सका कि विवेचक का ऐसा कौन सा हित था, जिसे साधने हेतु, उसने विशेष रूचि लेते हुए, अभियुक्ता को, अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 में मिथ्या कथन करने हेतु भयाक्रान्त किया हो अथवा दबाव डाला हो। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता द्वारा दिनांक 08.02.24 को हुई शेष मुख्य परीक्षा के माध्यम से, अपने अभिकथन अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 को देखकर, उस पर लगे फोटो व हस्ताक्षर की पहचान करते हुए, कथन किया गया है कि **यह बयान मैंने ही दिया था।**

इसी प्रकार, सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 की पत्रावली में पीड़िता की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से विदित होता है कि पीड़िता की मुख्य परीक्षा दिनांक 13.10.23 को अंशतः लेखबद्ध हुई। तत्पश्चात लगभग 4 माह उपरांत शेष मुख्य परीक्षा लेखबद्ध हुई। दिनांक 13.10.23 को लेखबद्ध मुख्य परीक्षा, अजय उर्फ राघव के विरुद्ध, सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 के अभियोजन कथानक के समर्थन में थी, जबकि दिनांक 08.02.24 को शेष मुख्य परीक्षा के पश्चात लेखबद्ध प्रतिपरीक्षा अजय उर्फ राघव के पक्ष में तथा सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 के अभियोजन कथानक के विपरीत थी। यह तर्क पूर्णतः हास्यापद है कि परम्परागत प्रचलन के अनुसार, मुख्य

परीक्षा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा बोलकर लेखबद्ध करायी गयी। मुख्य परीक्षा, पीठासीन अधिकारी के समक्ष, उत्तरदायी मुंसरिम/रीडर द्वारा लेखबद्ध की गयी, जिसके अनुक्रम में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं अभियुक्ता से पृच्छा की गयी। पीड़िता के पास विकल्प था कि वह पीठासीन अधिकारी अथवा मुंसरिम/रीडर से आपत्ति करती कि मुख्य परीक्षा सत्य नहीं है। सामान्यतः पक्षद्रोही साक्षी, मुख्य परीक्षा में ही, विपरीत कथन करते हैं, जिसके आलोक में उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया जाता है, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में, दिनांक 13.10.23 को मुख्य परीक्षा में, अभियुक्ता द्वारा अजय उर्फ राघव के विरुद्ध, संगत प्रकरण के अभियोजन कथानक के समर्थन में कथन किये गये तथा 4 माह पश्चात की प्रतिपरीक्षा में, अभियोजन कथानक के पूर्णतः विपरीत कथन किये गये। अतः यह उपधारित किया जाना, न्यायोचित होगा कि उक्त 4 माह की अवधि में, पीड़िता द्वारा, अजय उर्फ राघव नामक व्यक्ति से, अनुचित लाभस्वरूप अवैध धनार्जन करते हुए, उसके पक्ष में प्रतिपरीक्षा में कथन किये गये।

यहाँ दिनांक 08.02.24 को अभियुक्ता की न्यायालय की ओर से की गयी पृच्छा उल्लेखनीय है, जो इस प्रकार है—

*न्यायालय द्वारा की गयी पृच्छा—मुकदमा मम्मी जी ने लिखवाया था। मम्मी जी अजय राघव से नफरत करती थी क्योंकि वह घर आता था। मेरी बड़ी बहन इण्टर तक पढ़ी है, परन्तु मुझे यह नहीं पता कि कहाँ से पढ़ी थी। मैंने जो बयान Magistrate के सामने दिया, उस समय मेरी उम्र 15 वर्ष थी। (साक्षी ने प्रत्येक प्रश्नो का उत्तर देने से आनाकानी की है) इसी न्यायालय में मैंने शपथ पर झूठा बयान दिया था। मैंने मम्मी के कहने पर बयान दिया था।*

उपरोक्त पृच्छा पर, अभियुक्ता के कथन से स्पष्ट है कि उसने न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि उसने न्यायालय में शपथ पर झूठा बयान दिया था। अतः प्रतिरक्षा सम्बंधी कोई भी तर्क विचारणीय नहीं रह जाता है।

अतः प्रतिरक्षा पक्ष के तत्सम्बंधी उपरोक्त तर्क पूर्णतः असत्य व मिथ्या पाये जाते हैं।

इस प्रकार, न्यायालय के मत में, अभियोजन पक्ष, अभियुक्ता के विरुद्ध, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-195 भा0द0सं0 युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल पाया जाता है।

अतः अभियुक्ता अन्तर्गत धारा-195 भा0द0सं0, दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्त निशा को, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-195 भा0द0सं0, दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्ता जमानत पर है। उसके जमानत पत्र व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं व प्रतिभूगण को उनके दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। पत्रावली, दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक 04.05.2024 को प्रस्तुत हो।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)

अपर सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या-14 बरेली

दिनांक-03.05.2024

**दिनांक-04.05.2024**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। सिद्धदोष कारागार से उपस्थित आयी।

पत्रावली, दण्ड की मात्रा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत हैं। सिद्धदोष निशा, उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) उपस्थित।

सिद्धदोष निशा से पूछने पर, उसके द्वारा अवगत कराया गया कि बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गयी। उसकी माता श्रीमती रामबेटी एक निजी चिकित्सालय में, स्वच्छताकर्मी है, जो झाड़ू-पोछा करके परिवार चलाती है। वह 4 बहन है, जिनमें 2 बड़ी बहनो नीतू व रीतू, विवाहित है तथा अपने ससुराल में है। तीसरे क्रम पर वह स्वयं है, उसका भी विवाह हो चुका है। उसके पति प्राइवेट वाहन चालक है। चौथी उसकी बहन मनीषा है, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष है, जो झॉकी में काम करती है। तत्पश्चात 2 छोटे भाई है, जिनकी पढ़ाई छूट गयी है, वे कुछ नहीं करते। सिद्धदोष निशा भी कोई काम नहीं करती है।

सिद्धदोष निशा के पति श्री विपिन कुमार द्वारा स्वयं न्यायालय को अवगत कराया गया कि विवाह पश्चात बलात्संग सम्बंधी प्रकरण में, न्यायालय के सम्मन आने से, वह त्रस्त हो गया था तथा उसके द्वारा सिद्धदोष निशा पर प्रकरण शीघ्र समाप्त करने हेतु, बल दिया गया, जिसके कारण सिद्धदोष निशा ने न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत कथन किया। सिद्धदोष निशा ने कोई अवैध धनार्जन नहीं किया।

सिद्धदोष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि सिद्धदोष का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उसके द्वारा अभ्यासतः किसी अन्य व्यक्ति पर शील सम्बंधी आक्षेप यथा-छेड़खानी अथवा बलात्संग के वाद चलाये गये। प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोष ने कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया। सिद्धदोष की आयु तथा उसकी विवाहित स्थिति को देखते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, उसे न्यूनतम दण्ड से दंडित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा सिद्धदोष द्वारा कारित अपराध को, गम्भीर अपराध की संज्ञा देते हुए, तर्क दिया गया कि सिद्धदोष के मिथ्या आक्षेप के कारण, एक निर्दोष व्यक्ति को अपने जीवन के बहुमूल्य 4 वर्ष 6 माह की अवधि कारागार में व्यतीत करना पड़ा। उसे सिद्धदोष के मिथ्या साक्ष्य के आधार पर, आजीवन कारावास का दण्ड भी सम्भव था। इसके अतिरिक्त समाज में भी उसे बलात्संग जैसे आरोप में कारागार में रहने का कलंक झेलना पड़ा। प्रस्तुत प्रकरण में, ऐसा दण्ड दिये जाने की प्रार्थना की गयी, जो बलात्संग सदृश मिथ्या आक्षेप

लगाकर, महिलाओ की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाये गये विधिक प्रावधानो का अनुचित लाभ लेकर, धन वसूली करने की प्रवृत्ति रखने वाली सिद्धदोष सदृश महिलाओं हेतु मिसाल बन सके। अतः सिद्धदोष को धारा-376 भ0द0सं0 में प्रावधानित अधिकतम दंड अर्थात आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सिद्धदोष, उसके पति, उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) को दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा संगत विधियो व पत्रावली का परिशीलन किया।

सिद्धदोष के पति का यह तर्क निराधार व अविश्वसनीय है कि न्यायालय से समन प्राप्त होने से त्रस्त होने के कारण, उसके दबाव में, सिद्धदोष ने प्रश्नगत कथन किये, जबकि सिद्धदोष द्वारा प्रश्नगत कथन को ही सत्य बताया गया है तथा पूर्व के कथनो को दबाव में दिया गया बताया गया है, जिसमें दबाव सम्बंधी तर्क असत्य व अविश्वसनीय पाये गये है।

जिला कारागार, बरेली से प्राप्त आख्या के अनुसार, सत्र परीक्षण संख्या-15/2020 में, अजय उर्फ राघव नामक व्यक्ति, दिनांक 30.09.2019 से दिनांक 08.04.2024 तक अर्थात 04 वर्ष, 06 माह, 08 दिन कारागार में निरूद्ध रहा। यह निरूद्धि सिद्धदोष के मिथ्या आरोप के परिणामस्वरूप ही थी। यदि घटना सत्य थी, तो उपरोक्त अजय उर्फ राघव दण्डित होना चाहिए था, जबकि मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करने के 04 माह उपरांत हुई प्रतिपरीक्षा में, सिद्धदोष ने उपरोक्त अजय उर्फ राघव को निर्दोष बताया। यह सम्पूर्ण समाज के लिए अत्यन्त गम्भीर स्थिति को इंगित करता है, जिसमें महिलाओ की सुरक्षा हेतु विधायन द्वारा विशेषतः अधिनियमित प्रावधानो का घोर दुरुपयोग करते हुए, एक श्रमिक स्तर के व्यक्ति को उपरोक्त लम्बी अवधि हेतु कारागार में निरूद्धि हेतु बाध्य किया गया। तत्पश्चात अचानक सिद्धदोष ने, कतिपय संदिग्ध प्रयोजन के सिद्ध होने के उपरांत, न्यायालय के समक्ष, पूर्व के कथनो को असत्य करार देते हुए, नवीन कथन करते हुए, कारागार में निरूद्ध व्यक्ति को निर्दोष करार दे दिया। अपने अवैध उद्देश्य की पूर्ति हेतु, पुलिस व न्यायालय को माध्यम बनाना घोर आपत्तिजनक है। यद्यपि महिलाओ की सुरक्षा को तत्सम्बंधी नीतियो व विधियो के माध्यम से, शासन, प्रशासन व न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना, सर्वथा उचित व अपेक्षित है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इसका अनुचित लाभ लेने वाली महिलाओ को पुरुषो के हितो पर आघात करने की छूट प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, सिद्धदोष सदृश महिलाओ के, प्रस्तुत प्रकरण सदृश कृत्य से, समाज की वास्तविक पीड़ित महिलाओ को ही क्षति सम्भाव्य है। ऐसी स्थिति में, सिद्धदोष को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। दूसरी ओर सिद्धदोष की आयु तथा उसकी वैवाहिक स्थिति के दृष्टिगत, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी अपेक्षित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय के मत में, दोनो दृष्टिकोणो के मध्य, सामंजस्य आधारित दण्ड ही न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय के मत में, जितने दिन अजय उर्फ राघव नामक पीड़ित व्यक्ति कारागार में निरूद्ध रहा, उतने दिन का कारावास तथा एक अकुशल श्रमिक हेतु उ०प्र० शासन द्वारा विहित पारिश्रमिक के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

पीड़ित अजय उर्फ राघव दिनांक 30.09.2019 से दिनांक 08.04.2024 तक अर्थात् 04 वर्ष, 06 माह, 08 दिन अर्थात् कुल 1653 दिन कारागार में निरूद्ध रहा है।

उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर, अकुशल श्रमिक हेतु नियत दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर, 1653 दिन के पारिश्रमिक की गणना निम्नवत् है—

क्र०सं०	अवधि	दिवस	न्यूनतम पारिश्रमिक दर (रूपये में)	देय धनराशि (रूपये में)
1.	30.09.2019	01	318.42	318.42
2.	01.10.2019 से 31.03.2020	183	318.42	58,270.86
3.	01.04.2020 से 30.09.2020	183	318.42	58,270.86
4.	01.10.2020 से 31.03.2021	182	336.85	61,306.70
5.	01.04.2021 से 30.09.2021	183	353.23	64,641.09
6.	01.10.2021 से 31.03.2022	182	353.23	64,287.86
7.	01.04.2022 से 30.09.2022	183	366.54	67,076.82
8.	01.10.2022 से 31.03.2023	182	374.73	68,200.86
9.	01.04.2023 से 30.09.2023	183	388	71,004
10.	01.10.2023 से 31.03.2024	183	395	72,285
11.	01.04.2024 से 08.04.2024	08	395	3160
	<b>कुल योग</b>	<b>1653</b>	<b>—</b>	<b>5,88,822.47</b>

नोट—न्यूनतम पारिश्रमिक दर का स्रोत गूगल पर उपलब्ध अभिलेख है।

### **आदेश**

सिद्धदोष निशा को अंतर्गत धारा-195 भारतीय दण्ड संहिता, 1860(45) में 04 वर्ष, 06 माह, 08 दिन अर्थात् 1653 दिवस का सश्रम कारावास तथा मुबलिग 5,88,822.47/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड का भुगतान न किए जाने पर अतिरिक्त 6 माह का साधारण कारावास भुगताना होगा। अर्थदण्ड के भुगतान की स्थिति में, सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि अन्तर्गत धारा-357 द०प्र०सं०, पीड़ित अजय उर्फ राघव के पक्ष में, बतौर प्रतिकर निर्गत हो।

कारागार में व्यतीत अवधि समायोज्य होगी।

सिद्धदोष को निर्णय की प्रति नियमानुसार अविलम्ब व निःशुल्क प्रदान की जाए। सिद्धदोष का दण्ड वारंट बनाकर जिला कारागार, बरेली दण्ड भुगतान हेतु प्रेषित किया जाए।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)

अपर सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या-14 बरेली

दिनांक-04.05.2024

यह निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक-04.05.2024

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)  
अपर सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या-14 बरेली